

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनुघाट)।

अनुसूचि 14 - फारम संख्या 562

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक तारीख..... से तक

जिला-बोकारो, वाद संख्या-04/2016-17

विश्वनाथ महतो एवं अन्य बनाम खिरोधर महतो एवं अन्य

देश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही के बारे में टिप्पणी तारीख के स								
1	2	3								
15/04/23	आदेश इस वाद की कार्यवाही आवेदकगण विश्वनाथ महतो एवं अन्य द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड को जनसंवाद में समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया है। इस वाद में प्रथम पक्ष :- 1.विश्वनाथ महतो 2.रमेश महतो 3.कुलदीप महतो 4.रीतवरण महतो पिता-स्व0 चामु महतो स्थायी ग्राम+पो0+थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो। वर्तमान पता-ग्राम-फुटलाही उर्फ बेन्दोटांड, पो0+थाना-कसमार, जिला-बोकारो। इस वाद में द्वितीय पक्ष:- 1.खिरोधर महतो 2.दिनेश महतो 3.उमेश महतो तीनों पिता-स्व0 परन महतो निवास ग्राम-गागी, टोला-भेलवाटांड, पो0+थाना-पेटरवार, जिला-बोकारो। विवादित भूमि का विवरण निम्नवत है:- <table><tr><th>मौजा</th><th>खाता सं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा</th></tr><tr><td>गागी</td><td>23</td><td>96</td><td>0.81ए0</td></tr></table> अपीलार्थीगण द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को समर्पित आवेदन में उल्लेख है कि, वो पेटरवार प्रखण्ड के स्थायी निवासी है, किन्तु वर्तमान में मजबूरन फुटलाही ग्राम में अपने नानी घर में निवास कर रहे हैं, जो कसमार प्रखण्ड अंतर्गत आता है। आगे उल्लेखित करते हैं कि, उनकी खतियानी जमीन मौजा-गागी, खाता सं0-23, प्लॉट सं0-96, कुल रकबा-0.81ए0 भूमि स्थित है। वर्णित भूमि उनके पूर्वज (परदादा) मनशा कुर्मी एवं लोबिन कुर्मी (उर्फ लेवना कुर्मी) के नाम से सर्वे खतियान में दर्ज है, जिसे कभी भी न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके पूर्वजों ने किसी को बिक्री किया है। किन्तु उक्त भूमि की जाली कागजात बनाकर द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों द्वारा हड़प लिया गया है, जिस कारण अपीलार्थीगण सभी संबंधित दस्तावेजों की जाँच कर उचित न्याय दिलाने एवं खतियानी रैयत के नाम लगान रसीद निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।	मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	गागी	23	96	0.81ए0	15/04/23 15/04/23 15/04/23
मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा							
गागी	23	96	0.81ए0							

उक्त के परिप्रेक्ष्य में द्वितीय पक्ष के 01.खिरोधर महतो, 2.दिनेश महतो एवं 3.उमेश महतो, सभी पिता-स्व० परन महतो को नोटिस निर्गत कर कारण-पृच्छा समर्पित करने हेतु निदेश दिया गया, साथ ही कार्यालय पत्रांक-321 ए/रा०, दिनांक-17.06.2017 के माध्यम से अंचल अधिकारी, पेटरवार से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई।

अपीलार्थीगण द्वारा समर्पित आवेदन एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना, उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि, मौजा-गागी, खाता सं०-23, प्लॉट सं०-96, कुल रकवा-0.81ए० भूमि को न तो अपीलार्थीगण और न ही उनके पूर्वजों ने किसी को बिक्री किया है। किन्तु द्वितीय पक्ष के व्यक्तियों द्वारा अवैध कागजात बनाकर उसे हड़प लिया गया है, जिसका वर्तमान में उनके नाम से गलत जमाबंदी भी चल रही है, जिसे रद्द कर खतियानी रैयत के नाम से जमबन्दी कायम कर लगान रसीद निर्गत किया जाय।

द्वितीय पक्ष द्वारा समर्पित कारण-पृच्छा, लिखित बहस एवं उनके विद्वान अधिवक्ता को सुना। उनके द्वारा उल्लेखित की गई है कि, उनके पास वर्तमान में जो उपरोक्त भूमि उनके पास है, वो उनको अपीलार्थीगण के पूर्वज से खरिदगी प्राप्त है, जिसके बाद संबंधित भूमि की दाखिल-खारिज कर भूमि की लगान सरकार को नियमसंगत देते आ रहे हैं, जो सरकारी दस्तावेजों से साबित किया जा सकता है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद तथा तथ्यहीन है, जिस कारण इस वाद को खारिज किया जाना चाहिए।

अंचल अधिकारी, पेटरवार द्वारा पत्रांक-554, दिनांक-08.09.2017 के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये गये जाँ प्रतिवेदन में उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि, मौजा-गागी, थाना सं०-23 के खाता सं०-23, प्लॉट सं०-96, रकवा-0.81ए० एवं प्लॉट सं०-99, रकवा-0.22ए०, कुल रकवा-1.03ए० भूमि रैयती खाते की है। जिसका सर्वे खतियान मो० ठकनी देवी जौजे गणसा कुरमी वगै० के नाम से दर्ज है। मौजा-गागी, खाता सं०-23, प्लॉट सं०-96, रकवा-0.81ए० भूमि रैयती खाते की है, केवाला सं०-2378, दिनांक-23.06.1955 के द्वारा धरमा महतो वो प्राण महतो, पिता-मंटु महतो की खरिदगी भूमि है, जिसका जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं०-72/I में धरमा महतो वो प्राण महतो के नाम से कायम है वो वर्ष 1973-74 से 1997-98 तक लगान रसीद निर्गत हैं पंजी-II के प्राधिकार कॉलम में निम्न बाते अंकित है। विविध मुकदमा सं०-04/75-76 भू०सु० उपसमाहर्ता, बेरमो (तेनु०) द्वारा रसीद कट रहे को करार किया गया तथा मो० फुलवा के नाम डिमांड खारिज किया गया।

पुराना पेज 80 से आया। उपरोक्त 0.81ए0 भूमि के मध्ये बिक्री के पश्चात 0.58-2/3ए0 भूमि वर्तमान में अवशेष है। उपरोक्त भूमि पर जमाबन्दी रैयत का दखल-कब्जा है। कुल 0.81ए0 भूमि के मध्ये 0.17¼ए0 भूमि बिक्री किया हुआ है, जिसका जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं0-405/III में नामान्तरण होकर गणसु महतो, पिता-धरमा महतो के नाम से कायम है। वर्ष 1989-90 से 2009-10 तक लगान रसीद निर्गत है एवं जमाबन्दी रैयत का दखल-कब्जा है। कुल 0.17¼ए0 भूमि के मध्ये 0.07ए0 भूमि सरोज देवी, पति-सोहन साव, सा0-गागी को केवाला सं0-1378, दिनांक-02.06.2005 के द्वारा बेचा गया है, जिसका जमाबन्दी नामान्तरण वाद सं0-113/2005-06 के आदेशानुसार पंजी-II के पृष्ठ सं0-7/IV में अंकित है वो वर्ष 2015-16 तक लगान रसीद निर्गत है। चहार दिवारी के रूप में जमाबन्दी रैयत का दखल-कब्जा है। पंजी-II के पृष्ठ सं0-73/I में अंकित रकवा 0.81ए0 भूमि के मध्ये खाता सं0-23, प्लॉट सं0-96, रकवा-0.05ए0 भूमि गोपाल साव, पिता-युगेश साव, सा0-गागी को केवाला द्वारा प्राप्त है, जिसका जमाबन्दी पंजी-II के पृष्ठ सं0-113/IV में नामान्तरण वाद सं0-129/2010-11 के आदेशानुसार कायम है वो वर्ष 2014-15 तक लगान रसीद निर्गत है। संबंधित भूमि पर पक्का मकान एवं कॉरकेट सीट का मकान बना हुआ है। मकान के रूप में जमाबन्दी रैयत का दखल-कब्जा है।

उपर्युक्त विवेचना एवं प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं उनके द्वारा दाखिल कारण-पृच्छा, संलग्न दस्तावेजों तथा अंचल अधिकारी, पेटरवार से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन कर पाया कि, अपीलार्थीगण द्वारा आवेदांकित भूमि का मामला रैयती भूमि का है, जिसपर अपीलार्थीगण की जमाबंदी न कायम होकर द्वितीय पक्ष के लोगों का चल रहा है, तथा आवेदांकित भूमि पर द्वितीय पक्ष के लोगों का ही प्रतिकूल दखल-कब्जा है, जिससे यह मामला स्पष्ट रूप से स्वत्व का स्थापित होता है। अतः उभय पक्ष चाहें तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। इसके साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त किया जाता है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।


भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बेरमो (तेनुघाट)।